क्रमांक 1334-2 जी. एस. II-71/12367

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा तथा
सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार
दिनांक, चण्डीगढ़ 27 मई, 1971।

विषय : सेवा नियमों के प्रस्ताव तथा उनमें संशोधन को अधिसूचना जारी करने पूर्व-आयोग को मन्जूरी।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान पजाब सरकार के अशासकीय क्र: 6029 जी.एस.-60. दिनांक 21-6-60 (प्रति संलग्न) उपर्युक्त विषय की ओर दिलाऊं, जिसमें विभिन्न विभागों के सेवा नियमों में संशोधन करने आदि की कार्यविधि कथित है और यह सूचित करूं कि 21 दिन की अवधि का जो समय इन निदेशों में विभिन्न प्राधिकारियों को अपनी टिप्पणी देकर प्रस्तावित नियमों को लौटाने का है उस पर ऐसा अनुभव किया गया है कि बहुधा पालन नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप नियमों में संशोधन करने में अत्याधिक देरी हो जाती हैं। प्रस्तावना भेजने वाले विभाग प्राय: सम्बधित प्राधिकारियों से उनकी टिप्पणी की प्रतीक्षा 21 दिन की बजाए असीमित काल तक करते रहते हैं और बार-बार स्मरण कराते हैं जबकि निदेशों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि निर्धारित समय में टिप्पणी न प्राप्त होने पर यह मान लिया जाना चाहिए कि कथित प्राधिकारी इस प्रस्तावना से सहमत हैं एवं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मुआमलों में अवांछनीय विलम्ब न होने पाए, यह निर्णय किया गया है कि ज्योंहि प्रस्तावित नियमों की प्रतियां टिप्पणी के लिए मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं शाखा), वित्त विभाग तथा लोक सेवा आयोग को भेजी जाए तो प्रस्ताव भेजने वाले विभाग तीन सप्ताह की अवधि के समाप्त होने के उपरोक्त तुरन्त मुआमले का निरीक्षण करें। अगर प्रस्तावित नियमों में मौलिक तबदीली का प्रश्न न हो तो उस केस में अग्रिम कार्यवाई साधारणतया की जानी चाहिए अगर इसके विपरीत कोई मौलिक तबदीली प्रस्तावित हैं तो उस केस में मुआमला मुख्य सचिव को सूचित किया जाए ताकि उसका अन्तिम फैसला एक बैठक (1) प्रशासकीय सचिव (2) वित्त सचिव, 3) अध्यक्ष (या मैम्बर) लोक सेवा आयोग तथा 4) महालेखापाल या उसके प्रतिनिधि, को बुलाकर किया जाए। यह बैठक अत्यन्त शीघ्रता से बुलाई जाएगी ताकि अन्तिम फैसला जितनी जल्दी हो, लिया जा सके। साधारणतया एक बैठक हो इस उद्देश्य के लिए काफी होगी परन्तु किसी असाधारण परिस्थिति में अगर आवश्यक समझा गया तो दूसरी बैठक भी तुरन्त एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर बुलाई जाएगी ताकि ऐसे मुआमलों को निपटाने में कम से कम समय लगे। तद्उपरान्त प्रशासकीय विभाग अपनी अन्तिम प्रस्तावनाएं मन्त्रिपरिषद् को, पंजाब सरकार के अश: क्रमांक 6029-जी.एस-60, दिनांक 21-6-60 के पैरा 2 (II) में दिए निदेशों अनुसार अग्रिम कार्यवाई हेतु भेजेंगे।

3. इस पत्र की कृपया पावती भेजी जाए।

भवदीय,

स्वरूपकृष्ण
(मुख्य सचिव)

पृष्ठ क्रमांक 1334-जी.एस. II 71/12378 दिनांक चण्डीगढ़ 27 मई, 1971।

उपरोक्त की एक प्रति संलग्न सहित 1. सचिव हरियाणा लोक सेवा आयोग 2. महालेखापाल हरियाणा।

उप सचिव, प्रशासकीय सुधार,